झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–86 / 2020

रामजी यादव ....याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विरोधी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री रोहन मजूमदार, अधिवक्ता।

राज्य के लिए: श्री बीरेंद्र वर्मन, ए0पी0पी0।

02 / 16.01.2020 श्री रोहन मजूमदार, याचिकाकर्त्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता और श्री बीरेंद्र बर्मन, राज्य की ओर से विद्वान ए0पी0पी0 को सुना।

याचिकाकर्त्ता टिसरा (अलाकडीहा) थाना काण्ड संख्या 08 / 2016 तद्नुसार जी0आर0 संख्या 1023 / 2016 के संबंध में एक आरोपी है।

सूचक का विवाह याचिकाकर्त्ता के साथ वर्ष 2000 में हुई थी। यह आरोप लगाया गया है कि नियमित यातनाएं दी गई थीं और रू0 50,000 / – की मांग भी की गई थी, अंततः उसे उसके वैवाहिक घर से बाहर कर दिया गया। यह भी आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्त्ता ने दूसरी शादी कर लिया।

ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्त्ता को पहले ही 3000/– रूपये प्रतिमाह अंतरिम रखरखाव जमा करने की शर्त पर ए0बी0ए0 संख्या–1281/2016 में अग्रिम जमानत दी गई थी। हालाँकि उक्त आदेश का पालन न करने के कारण याचिकाकर्त्ता की जमानत रद्द कर दी गई थी। याचिकाकर्त्ता 19.11.2019 से हिरासत में प्रतीत होता है।

हिरासत की अवधि के संदर्भ में, उपरोक्त नामित याचिकाकर्त्ता को 10,000/– (मात्र दस हजार) रूपये के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, धनबाद के संतुष्टि पर, टिसरा (अलाकडीहा) थाना काण्ड संख्या 08/2016 तद्नुसार जी0आर0 संख्या 1023/2016 में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

(आर0 मुखोपाध्याय, न्याया0)